बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/नियोजन 02–01/2019 ..../विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019, विभागीय अधिसूचना संख्या–1973 दिनांक–28.10.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–2343 दिनांक–17.12.2019 के द्वारा बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(i)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।

उक्त अधिसूचना के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक–29.07.2019 से प्रारंभ होकर दिनांक– 20.02.2020 तक पूर्ण किया जाना है। कतिपय नियोजन इकाई द्वारा नियोजन संबंधित गतिविधि को संशोधित करने के अनुरोध, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 का आयोजन दिनांक– 17.02.2020 से 24.02.2020 तक निर्धारित रहने, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता आदि की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–1.7.2019, विभागीय अधिसूचना संख्या–1973 दिनांक–28.10.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–2343 दिनांक–17.12.2019 को निम्नांकित रूप से मेधा सूची का अन्तिम प्रकाशन के स्तर से संशोधित किया जाता है:–

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1.	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	15–02–2020 तक
2.	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	17–02–2020 से 19–02–2020 तक
3.	जिला परिषद/शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	22–02–2020 तक
4.	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण.	25–02–2020 तक
5.	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन	05–03–2020 तक
6.	जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना : नगर निकाय जिला परिषद	06–03–2020 07–03–2020

नियोजन की कार्रवाई से संबंधित पूर्व में निर्गत निदेश यथावत् रहेंगे। साथ ही, जिन नियोजन इकाईयों के द्वारा पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन, मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जांच एवं संबंधित नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन करते हुए उसका सार्वजनीकरण संबंधित गतिविधि जिस स्तर तक पूर्ण कर ली गई है, उसे आवश्यकतानुसार संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप दोहराया जा सकता है।

अतएव उक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप सभी नियोजन इकाई अपने–अपने इकाई से संबंधित नियोजन संबंधित गतिविधि का प्रकाशन अपने–अपने जिले के NIC के वेबसाईट पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से
12/2/2020
(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 202 पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपिः (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 202 पटना, दिनांक 12-02-2020

प्रतिलिपिः (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

12/2/2020

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 196 जि०प०, दिनांक :- 20-02-2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Purnea को वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु।

Dy. Dev Comm. Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Purnea

20/02/2020